पत्रांक–07/वेतन–06 / 2017(अंश–क) 309

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

अजय सतीश भेंगरा,
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 09/01/2026

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में शिक्षा विभाग के अधीन जिला अपीलीय प्राधिकार के संचालन के लिए जिला अपीलीय प्राधिकार में कार्यरत न्यायिक सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारी एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के मानदेय भुगतान हेतु 58,41,988/–(अंठावन लाख इकतालीस हजार नौ सौ अठ्ठासी रूपये) की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

राज्य के प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक. विद्यालयों तक शिक्षकों के नियोजन तथा उनकी सेवा शर्त्तो से सम्बन्धित अपील की सुनवाई एवं निष्पादन तथा अनुदानित कोटि एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों के विवादों के निबटारा हेतु प्रत्येक जिला में "जिला अपीलीय प्राधिकार" का गठन विभागीय अधिसूचना संख्या 1880 दिनांक 20.12.2013 एवं अधिसूचना सं0–715 दिनांक– 25.08.2020 के द्वारा किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में शिक्षा विभाग के अधीन प्रत्येक जिला में गठित जिला अपीलीय प्राधिकार के संचालन के लिए जिला अपीलीय प्राधिकार में कार्यरत न्यायिक सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारी एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के मानदेय भुगतान हेतु 58,41,988/–(अंठावन लाख इकतालीस हजार नौ सौ अठ्ठासी रूपये) की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक बजट के मांग सं0–21, मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01–प्रारंभिक शिक्षा–लघु शीर्ष–001. –निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष–0003–जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, विपत्र कोड–21–2202010010003, विषय शीर्ष 0003.28.02 संविदा सेवाएँ में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

4. अंकनीय है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में विपत्र कोड़ –21–2202010010003 के विषय शीर्ष 0003.28.02 संविदा सेवाएँ मद में 6.00 (छः करोड़ रुपये मात्र) का अतिरिक्त उपबंध प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से किया गया है। उक्त उपबंध राशि में से विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–242 दिनांक–04.11.2025 द्वारा विपत्र कोड– 21–2202–01–001–0003 के विषय शीर्ष 0003.2802 में 3,18,07,267/–(तीन करोड़ अठारह लाख सात हजार दो सौ सड़सठ रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की गयी है।

5. उक्त राशि की निकासी सम्बन्धित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा CFMS के माध्यम से की जायेगी। इसके लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा जिला अपीलीय प्राधिकार कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों की विवरणी प्राप्त कर उनके Individual payee id में प्रत्येक माह में राशि का भुगतान संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के बैंक खाता में किया जायेगा। बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा पर नियोजित डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों का मानदेय भुगतान बेल्ट्रॉन से प्राप्त विपत्र के आधार पर CFMS पद्वति से विहित प्रक्रिया द्वारा बेल्ट्रॉन के बैंक खाते में किया जायेगा। पीठासीन पदाधिकारियों के वेतन तथा सफाई कर्मी, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य कर्मियों के वेतन/मानदेय का भुगतान विषय शीर्ष 0003.28.02 संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत किया जाएगा।

6–(i) वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि0 दिनांक 17.04.1998 के कंडिका–2 में प्रावधानित बन्धेज के अन्तर्गत वित्त विभागीय पत्रांक–235 दिनांक–01.04.2025 में प्रदत्त शिथिलता तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 के अन्तर्गत स्वीकृत्यादेश निर्गत की जा रही है।

(ii) राशि की निकासी के पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा की पूर्व अवधि में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त है। इस राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित अवधि में विभाग के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार पटना को भेजा जायेगा।

(iii) राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं वित्त विभाग राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्प, परिपत्र एवं तत्संबंधी अन्य पत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जायेगी।

7. राशि के व्यय का अनुश्रवण राज्य स्तर पर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

8. इस राशि की निकासी हेतु वित्त विभागीय पत्रांक 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित अवधि में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना को भेजा जायेगा, ताकि उसे महालेखाकार को भेजा जा सके।

10. राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

11. स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृष्ठ नोट–26/टि० पर प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश में अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन पृष्ठ नोट–29/टि० पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह०/–

(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–07/वेतन–06/2017(अंश–क) .... पटना, दिनांक– ....
प्रतिलिपिः–योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–07/वेतन–06 / 2017 ....(अंश–क)   पटना, दिनांक– ....

प्रतिलिपि :–निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / आय–व्यय पदाधिकारी / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था0) / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) / सभी सदस्य, जिला अपीलीय प्राधिकार / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी उप कोषागार पदाधिकारी / बजट पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी उपयोगिता कोषांग, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–07/वेतन–06 / 2017 309........(अंश–क)क–07/   पटना, दिनांक– 09/01/2026

प्रतिलिपि :–प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.1.26

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

C:\Users\.p\Desktop\Draft\Budget Folder\Budget Sanctioned docx

क्रम संख्या	जिला का नाम	न्यायिक/प्रशासनिक/शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों के बकाया/मानदेय भुगतान हेतु अधियाचित राशि	डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के मानदेय भूगतान हेतु अधियाचित राशि
1	लखीसराय	31,00,000	4,20,000
2	सारण	11,77,028	1,58,732
3	खगडिया	—	7,00,000
4	नवादा	—	2,86,228
कुल		**42,77,028**	**15,64,960**
कुल		58,41,988/—(अंठावन लाख इकतालीस हजार नौ सौ अठ्ठासी रूपये)	